

प्रेषक,

डा0 पिकी जोवल,

विशेष सचिव

30प्र0

सेवा में,

अल्पसंख्यक कल्याण 30प्र0

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 08 अगस्त, 2017

विषय:-केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को राज्य सरकार के बजट से प्रति माह अतिरिक्त मानदेय प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र 0-1370/ 0 0 0 0/ 0 0/2017, दिनांक 04.07.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय व्ययक) -1 कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2017/ -1-02/ -2017- 213/2017, दिनांक 02.01.2017, प्रस्तर-2(8) में दी गयी व्यवस्थानुसार तथा केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को शासनादेश सं0-2855/52-3-14- (8)/14, दिनांक 06 जनवरी, 2015 में निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप राज्य सरकार के बजट से प्रति माह अतिरिक्त मानदेय प्रदान किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजनान्तर्गत राज्य सरकार के अंश के भुगतान हेतु आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 57,63,88,000/- के अनुमानित व्यय का 5/12 रू0 24,03,70,000/- (रू0 चैंबिस करोड़ तीन लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर निम्नंकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की सहमति, श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- (1) राज्य सरकार द्वारा मानदेय के रूप में दिये जाने वाले अतिरिक्त अनुदान का भुगतान केवल उन्हीं मदरसों में कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को किया जायेगा जो कि भारत सरकार की "मदरसा आधुनिकीकरण योजना" से आच्छादित है तथा पूर्व में भारत सरकार द्वारा मदरसे में कार्यरत आधुनिक विषयों के मानदेय का भुगतान किया गया है।
- (2) वश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।
- (3) किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।
- (4) मानदेय के रूप में राज्य सरकार द्वारा देय अतिरिक्त धनराशि संबंधित शिक्षक के व्यक्तिगत बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि मदरसों के अस्तित्व के संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त होने एवं आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन) के शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के अध्यापन की पुष्टि होने के पश्चात ही धनराशि का भुगतान की
- (6) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को 30 नवम्बर, 2017 तक उपलब्ध कराया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- (7) (टमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली
- (8) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि निदेशक/रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित मदरसों को अनुदान की धनराशि तभी निर्गत की जायेगी, में नियमो/शासनादेशों के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समस्त मानकों की पूर्ति संबंधी प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति से संतुष्ट हो लेंगे।
2. उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा -800-अन्य व्यय -02-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण-20-सामान्य () में व्यवस्थित धनराशि से वहन किया
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2017/ -1-02 / -2017- 213/2017, दिनांक 02.01.2017 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(0 पंकी जोवल)
विशेष सचिव

संख्या-1157(1)/52-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय 30प्र0,
- 2- (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0,
- 3- कोषाधिकारी, कै , /वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण 1 , 0प्र0
- 4- रजिस्ट्रार, 0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, ,
- 5- वित्त (ई-11) /वित्त (अ -व्ययक) -1(02 प्रतियों में)/ -3
/गार्ड फाईल।

1- इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 6- कम्प्यूटर आपरेटर, अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेब
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

()
संयुक्त सचिव

<http://shasanadesh.up.nic.in>

1- इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।